Speed Post

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

(गृह मंत्रालय/भारत सरकार)

सं० एम. पांच–429/2021–प्रशा. एक/आरटीआई   दिनांक– 7 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

पुलिस उप–महानिरीक्षक/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, भुबनेश्वर, उडीसा–751011.

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र का प्रेषण।**

श्री जगन्नाथ साहू, का आवेदन पत्र दिनांक 25/09/2021 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत इस महानिदेशालय में दिनांक 01/10/2021 को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत आवेदक सी.आर.पी.एफ के मेडिकल ऑथोरिटी के द्वारा 90 प्रतिशत मेंन्टल डिसेबिलिटी बोलकर मेडिकल डाक्यूमेन्ट दिया गया है और इसके बाद भी डिसेबिलिटी अलाउन्स तथा अटेन्डेन्ट अलाउन्सनही मिल रहा है। अगर दोनो अलाउन्स मिलने की योग्यता नही है तो मेन्टल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देकर बल से क्यों निकाला गया इत्यादि के संबध में जानकारी मांगी है।

2. इस संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि मामला/मॉगी गई जानकारियां नजदीकी तौर पर आपके कार्यालय से संबधित है। महानिदेशालय के आदेश संख्या एम–पॉच–4/2012–प्रशा–1 दिनांक 7/2/2012 के तहत जीसी/संलग्न बटालियनों के आर०टी०आई० मामलों के निपटारे के लिए GCs के DIsG को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी Designate किया गया हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 की उप–धारा (3) के तहत आवेदक के आवेदन पत्र को आपको अग्रिम कार्रवाई करने के लिए अंतरित किया जाता है। आवेदन कर्ता से 10/– रूपये आई०पी०ओ० प्राप्त हो चुकी हैं।

3. आवेदक को उत्तर देते समय धारा–7(8) के तहत अपीलीय प्राधिकारी का विवरण अवश्य दें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार ।

(एम. जे. विजय)
पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रशा०)/
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, महानिदेशालय
Phone No. 24364437
E-mail digadm@crpf.gov.in

Copy to :-

Shri. Jaganath Sahu, At/Po:- [redacted] Via: [redacted] P.S. [redacted] Dist: [redacted] को इस अभ्युक्ति के साथ कि मामले में अग्रिम पत्राचार उक्त लिखित कार्यालय से करें।

N.O.O
आन्तरिकः–

Copy to IT Cell in soft copy for uploading the data on CRPF website.